


न्यूज़ टुडे

पंजाब द्वारा सतलज यमुना लिंक (Satluj Yamuna Link: SYL) नहर पर जल सहभाजन के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लंबे समय से लंबित SYL मुद्दे के समाधान हेतु दोनों राज्यों (पंजाब एवं हरियाणा) के मध्य मध्यस्थता करने का निर्देश दिया है।
 - बैठक के दौरान, पंजाब द्वारा रावी-ब्यास नदी के जल की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने, जबकि हरियाणा द्वारा SYL नहर को पूर्ण करने की मांग की गई थी।
- SYL नहर:
 - यह सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली 214 किलोमीटर लंबी एक प्रस्तावित नहर है। वर्ष 1966 में हरियाणा (पंजाब से पृथक कर इसका गठन हुआ था) राज्य के निर्माण के पश्चात् इसकी योजना बनाई गई थी।
 - इसके माध्यम से हरियाणा को रावी-ब्यास नदी के अधिशेष जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करना अपेक्षित है।
 - हरियाणा ने वर्ष 1980 में SYL नहर के अपने भाग का निर्माण पूर्ण कर लिया था, जबकि पंजाब अतिरिक्त जल की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर निर्माण कार्य में विलंब करता रहा है।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए तंत्र:
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के समाधान के लिए न्यायनिर्णयन करने हेतु अधिकृत करता है।
 - अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act (ISWD), 1956): यह अधिनियम किसी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के अधिनियमन के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 (Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019): इस विधेयक को विगत वर्ष ISWD अधिनियम में संशोधन करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था।



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणालियों के प्रबंधन हेतु 'छत्र-इकाई' (Umbrella Entity: UE) के लिए रूपरेखा जारी की

- यह छत्र-इकाई (अंब्रेला एंटीटी) खुदरा बाजार के अंतर्गत नई भुगतान प्रणाली/प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन करेगी, जिसमें ए.टी.एम., व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल (PoS), आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाएं भी शामिल हैं।
- पिछले वर्ष, RBI ने एकाधिकार और सकेन्द्रण संबंधी जोखिम को रोकथाम हेतु खुदरा भुगतान के लिए एक वैकल्पिक छत्र संगठन (alternative umbrella organisation) के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
 - RBI का यह मानना था कि 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI) अब "टू बिग टू फेल" की श्रेणी में शामिल हो गया है।
 - वर्तमान में, NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एकमात्र छत्र संगठन है।
- प्रमुख दिशा-निर्देश:
 - यह इकाई संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के तहत अधिकृत होगी और कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के अधीन भारत में निगमित एक कंपनी होगी।
 - वे इकाइयाँ जो भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन हैं, आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। इस इकाई की न्यूनतम चुकता पूंजी (paid-up capital) 500 करोड़ रुपये होगी।
 - यह भागीदार बैंकों और गैर-बैंकों के लिए समाशोधन एवं निपटान प्रणाली (operate clearing and settlement systems) के परिचालन के साथ-साथ संबद्ध जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करेगी तथा देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने 'पी.एम. केयर्स फंड' के धन को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Disaster Relief Fund: NDRF) में अंतरित करने की याचिका खारिज कर दी है

- उच्चतम न्यायालय ने 'पी.एम. केयर्स फंड' (अर्थात् आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों की हैं, यथा-
 - न्यायालय ने यह कहते हुए कि ये दो भिन्न-भिन्न इकाइयाँ हैं, पी.एम.केयर्स फंड से NDRF में धनराशि के अंतरण हेतु निर्देश देने से अस्वीकार कर दिया है।
 - ❖ NDRF आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005 (DM Act)) के तहत स्थापित एक सांविधिक कोष है।
 - चूंकि पी.एम.केयर्स फंड को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए नियंत्रक एवं महालखापरीक्षक (CAG) द्वारा इसके लेखापरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
 - पी.एम.केयर्स फंड में योगदान करने के लिए किसी भी संस्था और व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, यह स्वैच्छिक है।
 - कोविड-19 से व्युत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि यह बोधगम्य (conceivable) नहीं है कि आपदा आने के पश्चात् एक योजना निर्मित की जाएगी।
- मार्च 2020 में स्थापित किया गया पी.एम.केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। यह किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति (जैसे- कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न परिस्थिति) से निपटने के प्रयोजनार्थ और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के प्रति समर्पित एक राष्ट्रीय निधि है।
 - प्रधान मंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP): कोविड-19 महामारी स्वच्छ वायु कार्रवाई योजनाओं को बाधित कर रही है

- प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की कि शीघ्र ही 100 शहरों में मिशन मोड के आधार पर एक स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
 - हालांकि, पिछले वर्ष NCAP की शुरुआत की गयी थी और इसकी प्रगति अत्यंत धीमी है।
- इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और वित्तीय स्लोडाउन के कारण उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वच्छ प्रक्रियाओं एवं स्वच्छ ईंधन को अपनाकर उत्सर्जन को कम करना कठिन हो रहा है।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board: CPCB) द्वारा राज्य सरकारों को NCAP के तहत तुरंत कार्य योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
- NCAP पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में आरंभ की गई प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एक पहल है। इसका उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में PMIO और PM2.5 की सांद्रता को कम से कम 20 प्रतिशत तक कम करना है। इस लक्ष्य के लिए तुलना हेतु वर्ष 2017 को आधार वर्ष माना गया है।
 - इसे 102 नॉन एटेनमेंट शहरों (वे शहर जिनका वायु गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता से निम्नस्तरीय होता है) में लागू किया जाना है।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NCAP के ढांचे के अधीन वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा।
- NCAP से संबंधित मुद्दे:
 - वित्तीय प्रावधानों पर स्पष्टता का अभाव,
 - विधिक ढांचे की कमी, कार्यक्रम की प्रभावशीलता को क्षीण कर सकती है।
 - लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कोई निवारक नीति नहीं है।

51 मिलियन ग्रामीण परिवारों को नल द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के बावजूद वर्ष 2024 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति धीमी है

- भारत के 189 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से, 51 मिलियन परिवारों (27 प्रतिशत) को अगस्त 2020 के मध्य तक पेयजल की उपलब्धता के लिए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
 - इसमें से 20 मिलियन कनेक्शन विगत वर्ष जल जीवन मिशन (JJM) के तहत प्रदान किए गए थे। हालांकि, JJM के तहत वर्ष 2024 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित दर से इसका विस्तार करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त, जहां तेलंगाना और हरियाणा में 80 प्रतिशत से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन प्राप्त है, वहीं उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 10 प्रतिशत से भी कम परिवार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
 - संदूषित जल के उपयोग से अतिसार (diarrhoea) जैसे रोग होते हैं, जो भारत में बाल मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।
- JJM को वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) प्रदान करना है।
 - FHTC का आशय नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में (प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर) पेयजल उपलब्ध कराने से है।
- JJM के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे: योजना के वित्तपोषण से संबंधित समस्या, परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए जल आपूर्ति विभागों की निम्नस्तरीय क्षमता, स्थानीय जल संसाधनों की संभावित उपेक्षा, जल संदूषण के मूल कारणों की उपेक्षा आदि।

अन्य सुर्खियाँ

<p>ARIIA-2020 (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग) (ARIIA-2020 (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय शैक्षिक संस्थानों के मध्य नवाचार को बढ़ावा देना है। ○ यह अन्य पहलुओं के साथ-साथ उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए समर्थन जैसे मानदंडों पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का आकलन करती है। ○ इस वर्ष के ARIIA रैंकिंग में संस्थानों को दो विस्तृत श्रेणियों और छह उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ 'केंद्र द्वारा वित्तपोषित सर्वश्रेष्ठ संस्थान' (Best Centrally Funded Institution) की श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान हुआ है। इसके पश्चात् IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है।
<p>स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज—आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान (Swadeshi Microprocessor Challenge-Innovate Solutions for Aatmanirbhar Bharat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (Microprocessor Development Programme) के तत्वावधान में IIT मद्रास और प्रगत संगणन विकास केंद्र (Center for Development of Advance Computing: CDAC) ने क्रमशः शक्ति (32 बिट) और वेगा (64 बिट) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं। ○ इस पहल के तहत नवोन्मेषकों, स्टार्ट-अप्स और छात्रों को इन माइक्रोप्रोसेसरों के उपयोग के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ○ इसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और आयात पर निर्भरता में कमी लाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य अप्रचलित प्रौद्योगिकी की समस्या को दूर करना तथा लाइसेंसिंग व सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। ○ इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है।
<p>नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 (National Cancer Registry Programme Report 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research:ICMR) और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (National Centre for Disease Informatics & Research: NCDIR) द्वारा जारी की गई है। ○ इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: <ul style="list-style-type: none"> ➢ देश में कैंसर के मामले वर्ष 2025 तक बढ़कर 15.6 लाख हो जाने की संभावना है। ➢ वर्ष 2020 में, कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू जनित कैंसर का योगदान 27.1% होने का अनुमान है। तंबाकू के सेवन से संबंधित कैंसर के मामले देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। ➢ पुरुषों में सामान्य रूप से होने वाले कैंसर हैं: फेफड़े, मुंह, अमाशय और ग्रासनली के कैंसर। ➢ महिलाओं में सामान्य रूप से होने वाले कैंसर हैं: स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (cervix uteri) के कैंसर।
<p>पंडित जसराज (Pandit Jasraj)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ वे भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय गायक थे। वे 'मेवाती घराने' से संबंधित थे। <ul style="list-style-type: none"> ➢ मेवाती घराना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित एक ख्याल शैली-आधारित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना है। ○ मेवाती घराने का नाम राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र (Mewar region) के नाम पर रखा गया है। ज्ञातव्य है इस घराने के संस्थापक इसी क्षेत्र से संबंधित थे। ○ पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वे हवेली संगीत में भी निपुण थे।
<p>माली (Mali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, माली के राष्ट्रपति ने एक सैन्य तख्तापलट के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। ○ माली पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है। इसका अधिकांश भाग सहारा और साहेल (Sahelian) क्षेत्रों में स्थित है। ○ नाइजर नदी इसके आंतरिक भाग से होकर प्रवाहित होती है तथा देश की प्रमुख व्यापारिक और नौगम्य नदी है।
<p>निजा मानवरहित हवाई वाहन (Ninja Unmanned Aerial Vehicles (UAV))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रेलवे स्टेशनों, पटरियों और कार्यशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा तैनात एक ड्रोन-आधारित निगरानी प्रणाली (drone-based surveillance system) है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ इसका उपयोग रेलवे संपत्ति का मानचित्रण करने, रेलवे संपत्ति के अतिक्रमणों का आकलन करने, संकटपूर्ण परिस्थितियों के दौरान भीड़ की निगरानी करने आदि के लिए भी किया जा सकता है।
<p>वैक्सीन राष्ट्रवाद (Vaccine Nationalism)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ कोविड-19 वैक्सीन के लिए विभिन्न देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य राष्ट्रों को वैक्सीन राष्ट्रवाद के जोखिमों के बारे में सचेत किया है। ○ इसके तहत, प्रत्येक देश टीके हासिल करने के लिए "स्वयं के लिए हर राष्ट्र (every nation for itself)" दृष्टिकोण का अंगीकरण करता है, क्योंकि वे निजी कंपनियों द्वारा उच्च मूल्यों पर विकसित किए जाते हैं (और प्रभावी रूप से निर्धन देशों के लिए पहुंच को कम करते हैं)। ○ दूसरे शब्दों में, जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों/निवासियों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' कहते हैं।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

